न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्रक0 09/2018

तारीख रजू:– 08.08.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामहरि पुत्र स्व0 धनसी मीना निवासी दादनपुर तहसील टोडाभीम (अपीलांट)

बनाम

1. नामोनारायण पुत्र रामहेत मीना निवासी अजीजपुर
2. गुड्डी पुत्री रामहेत पत्नि विनोद मीना निवासी अजीजपुर हालनिवासी बाडा का बास तहसील बसवा जिला दौसा
3. गल्ली पुत्री रामहेत पत्नि विष्णु मीना निवासी अजीजपुर हालनिवासी बाडा का बास तहसील बसवा जिला दौसा
4. कमलेश पुत्री रामहेत पत्नि भूरसिंह मीना निवासी अजीजपुर हाल निवासी साथा तहसील महवा जिला दौसा
5. अनौखी पुत्री रामहेत पत्नि रामरूप मीना निवासी अजीजपुर हाल निवासी हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा (मृतक)
   5/1. जगमोहन पुत्र रामरूप मीना निवासी हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा
   5/2 गुड्डी पुत्री रामहेत पत्नि छुट्टन मीना निवासी बाडा राजपुर तहसील नादौती
6. धवली पुत्री रामहेत पत्नि लखन मीना निवासी अजीजपुर हाल निवासी साथा तहसील महवा जिला दौसा
7. केशन्ती पुत्री रामहेत पत्नि नामालूम निवासी अजीजपुर हाल निवासी डीपस्या तहसील गंगापुर जिला स0मा0
8. मुथरी पत्नि रामहेत मीना निवासी अजीजपुर।
9. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मान्नौज तहसील टोडाभीम।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्व नामांतकरण सख्या 420 दिनांक 20.09.2017 बावत भूमि ख0न0 171 रकवा 0.20 है0 ग्राम दादनपुर तहसील टोडाभीम

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (अपीलान्ट)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:08:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक:–19.11.2020

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि यह कि उपरोक्त नामान्तकरण से वर्णित भूमि ख0नं0 171 रकवा 0.20 है0 ग्राम दादनपुर तहसील टोडाभीम का रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत द्वारा गलत व अवैध रूप से तस्दीक किया गया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि उपरोक्त नामान्तकरण से भूमि खसरा नं0 171 रकवा 0.20 है0 ग्राम दादनपुर तहसील टोडाभीम खातेदार रामहेत पुत्र भौरया के हिस्सा 1/2 के स्थान पर विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 8 के नाम तस्दीक किया गया है। भौरया के दो पुत्र रामप्रसाद व रामहेत थे, रामप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है उसका पुत्र धनसी था, धनसी की मृत्यु हो चुकी है, धनसी का पुत्र अपीलान्ट रामहरि हैं, भौरया का दूसरा पुत्र रामहेत था जो बचपन में ही अपने नाना गंगाधर ग्राम अजीजपुर के यहा गोद चला गया था तथा रामहेत बतौर गोद पुत्र ग्राम अजीजपुर में ही बालकपन से मृत्यु तक रहा है, रामहेत गंगाधर का दत्तक पुत्र है तथा उसकी संतान भी अजीजपुर मे ही रह रही हैं रामहेत का इस भूमि खसरा नं0 171 से कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा था नही हक है। रामहेत के

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

ले जाने के पश्चात ग्राम दादनपुर की भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा था। की अन्य व अचल सम्पत्ति जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है मृत्यु के बाद विरासत के पर अकेले अपीलान्ट के पिता धनसी के नाम आयी है, रामहेत के नाम नही आयी थी। रामहेत कालीन पटवारी हल्का गिरदावर व तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच से साज करके खसरा 71 मे विरासत का नामान्तकरण रामहेत व रामहेत के वारिसान के नाम खुलवा लिया था। व नानगा एक ही व्यक्ति है। रामहेत के नाना ने ग्राम अजीजपुर में नाम नानगा रख दिया था तथा इसी नानगा की विरासत का नामान्तकरण भी रेस्पोडेन्ट के नाम रामहेत मानते हुये वारिसों रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 8 के नाम खुला है। इस प्रकार अपीलान्ट का पिता धनसी का रामप्रसाद भौरया की सम्पत्ति का एकमात्र वारिस है। तथा रामहेत गोद चले जाने के कारण कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है तथा रामप्रसाद व उसका पुत्र धनसी व धनसी की मृत्यु द अपीलान्ट इस भूमि खसरा नं0 171 का एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा रामहेत के नाम भूमि का विरासत के आधार पर अपने नाम कराने का हकदार है।

के भूमि खसरा नं0 171 रकवा 0.20 है0 ग्राम दादनपुर पर पुर्व मे रामप्रसाद उनकी मृत्यु के धनसी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का बत्तौर खातेदार, काश्तकार, काबिज काश्त चला आ रहा इस भूमि पर रामहेत या उसके पुत्रों का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। ग्राम अजीजपुर की र्वक नामावली मे नानगा के पिता गंगाधर है तथा नानगा की पत्नी रामप्यारी व मुथरी है तथा अजीजपुर की भूमि खाता संख्या 151 के खसरा नं0 201, 444, 1088 कुल किता 03 कुल 1.08 हेक्टयर का नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 05.10.2017 रामप्यारी बेबा नानगा की सत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम खुला है तथा खातेदारी दर्ज है।

यह कि ग्राम पंचायत मान्नौज ने इस विवादित भूमिके संबंध मे अपीलान्ट या उसके पिता य धनसी को सनुवाई हेतु नोटिस नही दिया गया है, नाही किसी प्रकार की जानकारी दी गई यह कार्यवाही साजशी तौर पर गोपनीय तरीके से की गई है।

यह कि अपीलन्ट ग्रामीण व्यक्ति, अशिक्षित, काश्तकार पेशा आदमी है। जिसकी कारी अपीलान्ट को इस विवादित नामनान्तकरण के संबंध मे नही थी। पटवारी हल्का के पास लान्ट भूमि की जानकारी करने दिनांक 05.07.2018 को गया तब इस गलत नामान्तकरण की कारी हुई और नकल नामान्तरकरण प्राप्त कर अपील नियमानुसार अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा है।

अतः अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 420 दिनांक 20.9.17 बावत ख0न0 171 रकवा 0.20 है0 ग्राम दादनपुर जो रामहेत पुत्र भौरया के स्थान पर विरासत से सा 1 ... रेस्पो0 के नाम ... तस्दीक ... है। उसे निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार डाभीम को आदेश प्रदान कि... उक्त भमि के संबध मे रामहेत पुत्र भौरया के स्थान पर रासत के आधार पर अपीलां... हक मे ...तकरण तस्दीक किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर ... जरिये नोटिस तलब किया गया। रस्पो0 न0 1 ता 4 6 ता 8 की ओर से श्री लखन ... ना एडवोकेट उपस्थित हुए। इन्होने यह भी कथन किया रेस्पो0 न0 5 फौत हो चुकी है ... अपीलांट ने रेस्पो0 न0 5 के कायम मुकामान का प्रार्थना मय नोटिस प्रस्तुत किया ... टल पत्रावली मे शामिल किया गया। रेस्पो0 न0 1 ता व 6 ता 8 के वकील एवं रेस्पो0 न0 5 के कायम मुकामान उपस्थित नही हुये। तहसीलदार डाभीम से मूल नामांतकरण तलब कर पत्रावली मे शामिल किया गया।

वकील अपीलांट ने दस्तावेज शामिल कराते हुये बहस प्रारम्भ की। अपील मे वर्णित तथ्यो दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम दादनपुर मे भौरया के दो पुत्र रामप्रसाद व रामहेत थे। रामहेत धनसी, और धनसी के रामहरि अपीलांट है रामहेत अपने नाना गंगाधर के यहा ग्राम अजीजपुर हसील टोडाभीम मे गोद चला गया। नाना गंगाधर ने रामहेत का नाम नानगा रख लिया। रामहेत और नानगा एक ही व्यक्ति है। भौरया की अन्य सम्पत्ति विरासत से अपीलांट के पिता धनसी के नाम आयी है। ग्राम अजीजपुर की जमाबन्दी मे नानगा की विरासत रेस्पो0 के नाम खुली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:08:28 IST
Reason: SelfAttested

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधि...

क नामावली 2018 भाग संख्या 32 ग्राम अजीजपुर मे नानगा पुत्र गंगाधर तथा रामप्यारी पत्नि मुथरी पत्नि नानगा के नाम दर्ज है। रामहेत और नानगा एक ही व्यक्ति है जो अपने नाना ग्राम अजीजपुर मे गोद चले गये है। ग्राम अजीजपुर मे नानगा की मृत्यु के पश्चात विरासत ो0 के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इसलिये ग्राम दादनपुर की आराजी ख0न0 171 रकवा है0 मे रामहेत के वारिसान रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 420 दिनांक 20.9.2017 से दर्ज ातेदारी हटवाये जाने हेतु अपील स्वीकार कर अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश ा।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन ग्राम दादनपुर की आराजी ख0न0 171 रकवा 0.20 है0 के खातेदार रामहेत पुत्र भौरया हिस्सा की विरासत का नामांतकरण संख्या 420 नमोनारायण पुत्र रामहेत गुड्डी,गल्ली,कमलेश, ो, धवली, केशन्ती पुत्रीया रामहेत, मुथरी पत्नि रामहेत हिस्सा 1/2 के नाम दिनांक 20.9.2017 ीकार हुआ है। ग्राम अजीजपुर के नामांतकरण संख्या 353 दिनांक 9.10.77 से ख0न0 213 2 बीघा 11 बिस्वा मे खातेदार मु0 लिक्षमा शेष अपठित से नानगा पुत्र भौरया मीना के नाम त तस्दीक हुई है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 मे खसरा न0 213 रकवा 2 बीघा 11 से नवीन ख0न0 201/0.31, 444/0.34, बने है। तथा साबिक ख0न0 615 रकवा 1 बीघा 10 , 613/2 रकवा 4 बिस्वा से नवीन ख0न0 1088/0.43 बनाये गये है। ग्राम अजीजपुर मे उक्त 0 की खातेदारी रामप्यारी वेवा नानगा हिस्सा 1/14 के नाम से नमोनारायण पुत्र नानगा, ा,गल्ली,कमलेश, अनोखी, धवली, केशन्ती पुत्रीया नानगा हिस्सा 1/14 के नाम नामांतकरण ा 479 दिनांक 5.10.17 से विरासत दर्ज हुई है। दस्तावेजो से यह साबित होता है कि रेस्पो0 के ग्राम दादनपुर मे रामहेत की विरासत से एवं ग्राम अजीजपुर मे नानगा की विरासत से खातेदारी हुई है। रेस्पो0 के अपील के संबध मे उपस्थित नही होना एवं अपील का प्रतिकार नही करना प्रकार से अपील की स्वीकारोक्ति है। उपरोक्त विवरण के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम दादनपुर ग्राम पंचायत मान्नौज तहसील टोडाभीम का नामांतकरण संख्या दिनांक 20.9.2017 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है रामहेत पुत्र भौरया के वारिसान की जॉच कर पुनः नामांतकरण दर्ज करे। निर्णय की प्रति ीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.20 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम

जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:08:28 IST
Reason: SelfAttested